निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1939 (श0)

(सं0 पटना 254) पटना, मंगलवार 20 मार्च 2018

सं० 06/पणन (स॰)–03/2018–378
सहकारिता विभाग

संकल्प

5 फरवरी 2018

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड) रुपये ऋण का राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में।

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में राज्य के कृषकों को उनके धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आलात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके खाता के माध्यम से किया जाना है। इसके निमित्त पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्थित उनके खाता के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। पैक्सों द्वारा राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति की जाती है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा तदनुसार निर्धारित मूल्य के अनुसार पैक्सों को भुगतान किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र के समुचित रूप से संचालन हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास पर्याप्त राशि रहना अपेक्षित है।

3. पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश–क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है। इसके निमित्त पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक को कुल 600 करोड़ (छः सौ करोड़) रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है।

4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य के मूल्य का 40% राशि कैश–क्रेडिट ऋण पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु 1860.52 करोड़ (अठारह सौ साठ करोड़ बाबन लाख) की आवश्यकता है।

5. राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली/अन्य सरकारी संस्थाओं से इस अतिरिक्त राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी की आवश्यकता होती है। खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने

हेतु राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा।

6. राज्य सहकारी बैंक के पत्रांक 1002 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा नाबार्ड/एन॰सी॰डी॰सी॰ द्वारा दिये जाने वाले 700 करोड़ (सात सौ करोड़) रूपये ऋण पर राजकीय गारंटी का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

7. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 254-571+20-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in